संख्याः- 35 /2018/ 2191 /अड़तीस-7-2018-391नरेगा/2012

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।**

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांकः 26 अक्टूबर, 2018**

विषयः- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कन्वर्जेन्स विभागों (लाइन विभागों) द्वारा किये जाने वाले कार्यो की योजना तैयार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए श्रम बजट निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। मनरेगा योजनान्तर्गत श्रम बजट निर्माण की कार्यवाही समयबद्ध है और मनरेगा अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले समस्त कार्यो पर ग्राम सभा का अनुमोदन अनिवार्य होता है। इसके दृष्टिगत मनरेगा कन्वर्जेन्स के अंतर्गत कार्य कर रहे सभी विभागों के लिए श्रम बजट की समय सारिणी महत्वपूर्ण है।

2- उक्त के अनुक्रम में यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर श्रम बजट निर्धारण के लिए जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक की मुख्य भूमिका है जो समस्त प्रस्तावों को सम्मिलित कर जनपद की वार्षिक कार्ययोजना एवं श्रम बजट को अंतिम रूप प्रदान करते है। अतः समस्त विभागों को जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन में श्रम बजट निर्माण की कार्यवाही सम्पादित कराया जाना आवश्यक है। भारत सरकार एवं शासन द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में प्राथमिकता प्रदान करते हुये महत्वपूर्ण कार्यो यथा- आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, वृक्षारोपण, नदियों का पुनरूद्धार, पूर्व से संचालित ग्रामीण हाट बाजारों का स्तरोन्नयन, व्यक्ति लाभार्थीपरक कार्य, वर्मी/नेडप कम्पोस्ट इत्यादि परियोजनाओं के चयन की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यदायी विभागों के माध्यम से सम्पादित की जानी है।

3- यह भी अवगत कराना है कि योजनान्तर्गत लाईन विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों को कार्यक्रम अधिकारी (लाईन विभाग) घोषित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2450 दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 के द्वारा पूर्व में आदेश निर्गत किये गये हैं।

4- अतः उक्त के परिपेक्ष्य में आपसे अपेक्षित है कि मनरेगा कन्वर्जेन्स के अंतर्गत कार्यरत् उपरोक्त विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यदायी विभागो के साथ बैठक करते हुये ऐसे कार्य, जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में मनरेगा कन्वर्जेन्स के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित हो, को ''शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट'' में सम्मिलित कराते हुए ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करते हुए जनपद की वार्षिक कार्ययोजना/श्रम-बजट में सम्मिलित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिचित कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक माह की 15 तारीख को राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, लखनऊ को ई-मेल के माध्यम से अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या- 35 /2018/2191 (1)/अड़तीस-7-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है।इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. आयुक्त/अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, विभाग, लघु सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग,पंचायती राज विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा विभाग, युवा कल्याण विभाग।
4. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया मण्डल स्तर पर विभागवार प्रभावी अनुश्रवण कर, मण्डल की संकलित पाक्षिक रिपोर्ट अपने स्तर से भी राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, लखनऊ को उपलब्ध करायें।
5. समस्त उपायुक्त(श्रम रोजगार), उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।